राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प.17(1)/नविवि/अभियान/2021/ जयपुर, दिनांक : 24 SEP 2021

आदेश

प्रशासन शहरो के संग अभियान "शहर–2021" के दौरान अभियान के कार्यों की समीक्षा व बाधाओं को दूर करने व समय–समय पर मोनेटरिंग किये जाने हेतु सम्भागवार प्रशासनिक अधिकारी के रूप में निम्नालिखित अधिकारियों कोअधिकृत किया जाता है :–

क्र.सं.	प्रशासनिक अधिकारी	सम्भाग
1.	श्री मनीष गोयल, संयुक्त शासन सचिव–प्रथम, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।	अजमेर, कोटा व उदयपुर
2.	श्री नवनीत कुमार, संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।	जोधपुर, बीकानेर व भरतपुर
3.	श्री अवधेश सिंह,संयुक्त शासन सचिव–तृतीय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।	जयपुर

उक्त प्रशासनिक अधिकारियों का यह दायित्व होगा कि वे नियमित एवं आवश्यकतानुसार संबन्धित जोन में आने वाली नगरपालिकाओं/नगर परिषदों/नगर निगमों/नगर निकाय प्रन्यासों/नगर विकास प्राधिकरण में चलने वाले अभियान के दौरान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यवाही का समयबद्ध व चरणबद्ध तरीके से सम्पादित करवाने में अपना पूर्ण सहयोग देते हुए समन्वय का कार्य करेंगे। राज्य सरकार द्वारा अभियान के दौरान समय–समय पर जारी आदेश, परिपत्रों, निर्देशों से अद्यतन रहेंगे एवं अधिकारियों द्वारा सलाहकार (UDH & LSG) प्रकोष्ठ, नगर नियोजन भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर को अभियान से सम्बन्धित प्रमुख कार्यों की प्रगति बाबत "Google Sheet" के माध्यम से नियमित रूप से अवगत करायेंगे।

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग
6. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि।
7. उप नगर नियोजक, नविवि।
8. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
9. गार्ड फाईल।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Scanned with CamScanner